banks. RBl is seized of the matter of drawing up detailed proposals in this regard.

Shareholdings of promoters in companies taken over

1092. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what is the percentage of shareholding of the promoters Vijay Mallya in Best Crompton; R. P. Goenka in Remington Rand and Calcutta Electric Supply Corporation; Tata in ACC and Ruias in S. I. Shipping, the companies which have recently been taken over by Government;

(b) what were the sources of funds used by these promoters to purchase equity in these companies;

(c) whether the financial institutions had any role in aiding such takeovers;

(d) if so, the detail's thereof; and

(e) whether factors such as existing cases under the Income Tax, Wealth Tax, FERA or MRTP against IheSe individuals or their companies were taken into consideration while judging the merits to takeover new companies in which they required shares?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित पड़े हुए रुग्ण उद्योगों के मामले

@1093. डा० अबरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन इस समय रुग्ण उद्योगों के कितने मामले विचाराधीन हैं तथा प्रत्येक मामला कब से विचाराधीन है;

(ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के गठन से लेकर आज तक इसने रुग्ण उद्योगों के कितने मामलों का निर्णय किया है और उनमें से कितने उद्योगों को पुनः प्रारम्भ किया गया है;

(ग) क्या रुग्ण उद्योग के कर्मचारियों को उस अवधि के दौरान वेतन देने का कोई प्रावधान अथवा व्यवस्था है जब तक उसका मामला विचाराधीन रहता है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी का मामला किस अवस्था में है और इसका निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31-10-91 की स्थिति के अनुसार दर्ज किए गए 1080 मामलों में से 1068 मामले पीठों को सौंप दिए गए थे। इनमें से 347 मामलों में योजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृति/ के साथ-साथ 688 मामले निपटा दिए गए हैं। 107 मामले अंतिम चरणों में हैं और 36 मामले असफल/अनुमोदित/ स्वीकृत योजना अथवा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण द्वारा वापस किए गए अथवा अन्य अदालतों में लंबित होने के कारण पुनः आरंभ किए गए मामलों की श्रेणी में आते हैं। बाकी बचे कुल 237 मामलों में से, जिनकी जांच विभिन्न चरणों में है, 1987 में 6, 1988 में 5, 1989 में 44, 1990 में 88 और 1991 में अक्टूबर तक 94 मामले दर्ज किए गए।

(क) चालू एककों के मामलों में प्रबंधन सामान्यतः प्रचालन के दौरान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करती

@पूर्वतः अंतारांकित प्रश्न 752, 28 नवम्बर, 1991 से स्थानांतरित ।